अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2022(GCMS 2022/292)(आरटीआई संख्या 212496542835685) श्री विजय कुमार जैन, अधिवक्ता, निवासी 14 ई ब्लॉक, श्रीगंगानगर–335001(मोबाईल नं. 94602–65195) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

29.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विजय कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2022 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विजय कुमार जैन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. That you had communicated a communication no. Vikas/B/1547 of dated 2.2.1998, under signature of Shri A.V. Ganeshan, the then Collector, Sriganganagar to the Dy. Secretary of Local Self, Rajasthan, Jaipur recommending extension of lease period of the aforesaid plot of land measuring 80'X60", which was alloted to M/s Hem Raj Bhatia & Sons in the year 1951 for establishing petrol pump. - 10 Copies
2. That the aforesaid Communication was sent by you in response to an earlier communication no. F-(5)(234)Land/DLB/66/19813 of dated 29.07.1967 of the Director of Local Bodies, Rajasthan, jaipur. Kindly arrange to supply certified copies of the said communication to the applicant - 2 Copies
3. That the aforesaid Communication was also sent by you in response to an another communication no. land/(234)DLB/66/29436 dated 25.10.1967 of the Director of Local Bodies, Rajasthan,Jaipur,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Kindly arrange to supply certified copies of the said Communication to the applicant.- 5 Copies

4. That you had received a Communication no. F-5(234)DLB/33459-60 of dated 1.11.1969, from the Dy. Secretary tot the Govt. Local Self department, Rajasthan, Jaipur conveying therein sacntion under Section 80 of the Rajasthan Muncipal Act 1959 relating to aforementioned plot of land 80'X60'(533½Sq.yards) to Shri hem Raj Bhatia & Sons, SriGanganagar on lease hold basis for a further period of 99 years and which is lying in your records. Kindly arrancge to supply certified copies of the said Communication to the applicant - 10 copies

5. That your had issued your communication n. Gen/1/15040/ of dated 30.03.1951 to M/s Hem Raj Bhatia & Sons for allotment of the aforesaid plot of land measuring 80'X60' by the Govt. of Rajasthan situated opposite Head Post Office, Sri Ganganagar. Kindly arragne to supply certified copies of the said Communication to the applicant. 5 Copies

6. The application submitted by M/s Hem Raj Bhatia & Sons, Sri Ganganagar to you for alloting aforementioned plot of land mearuing 80'X60' for establishing petrol pump to him, Kindly arrange to supply certified copies of the said application to the applicant - 3 Copies

The Applicant is prepared to depodit your necessary charges payable to you for issuance of certified copies of the aforesaid documents, which may kindly be communicated to the applicant at the earliest alongwith its mode of payment, in which to be paid to you. Kindly inform it to the applicant.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ40(33)( ) सामान्य/2021/11726 दिनांक 01.11.2022 के अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 06.10.2022(पत्र प्राप्ति दिनांक 14.10.2022) को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है आवेदन पत्र में आपने इस कार्यालय के पत्र के क्रम में की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई है। सूचना से सम्बन्धित पत्र का नम्बर/संख्या, अनवान व पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है। जिसके अभाव में आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।

अतः आपको लिखा जाता है कि आप किसी भी कार्यदिवस मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर, चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्र, पत्रावली नम्बर/संख्या मय पूर्ण विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावे ताकि तद्नुसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 की धारा 11 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

<u>पर व्यक्ति सूचना</u> – (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसक प्रदाय किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य को लिखित रूप से सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना का अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिये या नहीं, **लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चिय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।**

अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के उक्त प्रावधानों के अनुसार उसे सूचित करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जो कि लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं **अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:45 IST
Reason: SelfAttested